

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 14/2018 संघ राज्य क्षेत्र कर

नई दिल्ली, दिनांक: 08 अक्टूबर, 2018

सा. का. नि.....(अ)- केंद्रीय सरकार, संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 15 तथा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 96 तथा माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में यथा उल्लिखित संघ राज्य क्षेत्रों में उक्त-सारणी के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट सदस्यों के साथ अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण का गठन अधिसूचित करती है, अर्थात:-

सारणी

क्र. सं.	अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सदस्य का नाम और पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	अंडमान और निकोबार	(i) श्री डी. पी. एस. कुशवाहा, संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय कर, कोलकाता ज़ोन;  (ii) श्री शुभांकर घोष, संयुक्त आयुक्त, माल और सेवा कर, अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र।
2.	चंडीगढ़	(i) श्री कुमार गौरव धवन, संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय कर, चंडीगढ़ ज़ोन;  (ii) श्री राकेश कुमार पोपली, अपर आयुक्त, उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र।
3.	दमन और दीव	(i) श्री सतीश कुमार, संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय कर, वडोदरा ज़ोन;  (ii) श्रीमती चारमी पारेख, उपायुक्त, (संघ राज्य क्षेत्र माल

		एवं सेवा कर), दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र।
4.	दादरा और नगर हवेली	(i) श्री सतीश कुमार, संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय कर, वडोदरा ज़ोन;  (ii) श्री रजत सक्सेना, उपायुक्त, (संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर), दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।
5.	लक्षद्वीप	(i) श्री बी. जी कृष्णन, संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय कर, तिरुवनंतपुरम ज़ोन;  (ii) श्री अंकित कुमार अग्रवाल, निदेशक (योजना, सांख्यिकी और कराधान), (संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर), लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एस-31011/21/2016-एसटी-1-डीओआर-पीटी.1]

(राजेन्द्र कुमार)  
अवर सचिव, भारत सरकार